

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, सहायकीय, व्यक्तितगत या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही नियम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक नियम को सुचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नवरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खंडकी केवल आवासीय इधीजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 891 दिनांक 04/02/2021

प्राथी श्री प्रेमदास S/O श्री मोहनदास

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पत्र

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10000/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/1832-1840

दिनांक 04/02/2021 को जमा करा दी है ।

जमीन

आवासीय

Sl. No: 8-2/49 बखीदेव नगर

दिनांक 04/02/2021

सहायक नगर निगमजक

नगर निगम, जोधपुर

का.प्र.दा.श S/O प्रेमदास

पुत्र 9829841136